

18.4.22

पनावली 15/4/22 को राजकीय भव-
नारा क्षेत्र के कानून आज दिनांक को
पेश हुआ। अधिवक्ता उत्तम पक्ष
उपस्थित आए। अधिवक्ता उत्तम पक्ष
ने निवेदन किया कि वादी सं. 1
व 2 की मूल्य हो चुकी है अतः
दावा खारज हो चुका है।

हमारे आदेशिका दिनांक 27/2/20
से जारी हुआ कि वादी सं. 1 की
मूल्य हो चुकी है तथा उत्तम पक्ष
अंतर्गत धारा 151 जी.डी. दिनांक



12.3.18 के द्वारा बात हुआ कि
वासी ले. 2 की मृत्यु 2014 से पूर्व
हो चुकी है।

उक्त दोनो 'वाकिफो' की मृत्यु हुये
लम्बा काल बीता हो जाने के
उपरांत भी उनके विधिक वारिसों
को रिकॉर्ड पर लिखे जाने हेतु
आवधिक रक सोई भी जामिन-पत्र
पेश नहीं किया गया। जबकि
विधि अनुसार मृत्यु से जाने की दिनांक
से 90 दिवस में कालम पुनर्जात
का जामिन-पत्र प्राप्त किया जाना
अवश्यक है।

इस विवेचनानुसार वासी की वाद
आद प्रविनिपत्र की धारा 120
का अन्वयण होने से इसी लटेज
पर अटैच किया जाता है।

पत्नीवाली के नाम हुआ से
कम्यु से रक की जाकर साखिल
दफता है।

निर्णय लिखा जाकर खुले
लेखापाल्य में हुआ जा रहा है।

18/4/18
उपस्थित अधिकारी
सांभर लेक